(c) what steps Government propose to take to make sure that the prescribed reservation for SC/ST is maintained for the purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) to (c) The present policy in this regard provides for reservation of 25 per cent of all dealerships/distributorships of petroleum products for persons belonging to SC/ST Category on industry basis for each State based, however, on the 100 point formula and the SC/ST Parliamentary/Assembly Constituencies and the SC/ST population of the area. In the Annual Marketing Plans drawn up by the oil industry, this percentage reservation is maintained in respect of each State including Madhya Pradesh.

Drugs Price Control Order, 1987

2654. DR. R. K. PODDAR:
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Drugs Price Control Order, 1987 is a non-starter; and

(b) if so, what are the reasons therefor and which sectors are the beneficiaries thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में एक डाक्टर की हत्या

2655. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के एक चिकित्सक बासु घोष की हत्या 7 फरवरी, 1988 को हो गई जिसके कारण वहां के कर्मचारियों में बड़ी उत्तेजना है ;

(ख) क्या कर्मचारी इस मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हत्या की जांच सी०बी०आई० से कराई जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) आई०टी०आई० की नैनी यूनिट के स्वास्थ्य अधिकारी डा० बसु घोष का शव 7-2-88 को रेल की पटरी के निकट पाया गया । यह पता नहीं चल सका है कि यह हत्या का मामला है ।

यह सच है कि इस घटना पर नैनी इकाई के कर्मचारियों में काफी रोष था लेकिन 16-2-88 से स्थिति सामान्य हो गयी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इलाहाबाद के जिला पदाधिकारियों ने सी०आई०डी० द्वारा जांच करने के आदेश दे दिये हैं । इस दृष्टि से सी०बी०आई० द्वारा जांच जरूरी नहीं समझी गयी ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाओं का नियमित किया जाना

2656. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली महानगर में 28 फरवरी, 1988 तक कितने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं ; और

(ख) क्या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के नियमन के लिए बनाए गये नियम देश भर में एक समान हैं; और

(ग) क्या सबूर समिति की सभी सिफारिशों को अब तक लागू कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को मासिक भत्ते पर काम के निर्धारित घंटों के आधार पर अंशकालिक तौर पर नियुक्त किया जाता है ; इनकी सेवाओं को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित नहीं किया जाता है । तथापि ये कर्मचारी भर्ती के अनुसार खाली स्थान उपलब्ध होने पर परीक्षा द्वारा वर्ग "घ" /पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों पर नियुक्ति के पात्र होते हैं । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है । अतः दिल्ली सर्किल के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम सह-उत्पाद

2657. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम सह-उत्पादों के प्रयोग की क्या स्थिति है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : बरौनी रिफाइनरी में कोई उपोत्पाद नहीं है क्योंकि कच्चे तेल के प्रोसेस के दौरान प्राप्त सभी स्ट्रीमों को सीधे या मिश्रण/पुनः संसाधन द्वारा तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

2658. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे कितने तथा कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं तथा जिनमें इस प्रकार की समितियां नहीं है;

(ख) उन गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें इन समितियों में प्रेक्षक के रूप में नामित किया गया है तथा वे समितियां कौन-कौन सी हैं जिनमें इस प्रकार के सदस्य नहीं हैं, उसके कारण क्या-क्या हैं तथा प्रेक्षक कब तक नामित कर दिये जाएंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन समितियों में अध्यक्ष और सदस्य अपने-आप में राजभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और यदि वे इसका उपयोग करते हैं तो वे कितना-कितना प्रतिशत कार्य राजभाषा में करते है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और जो भी उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में अतिरिक्त विभागीय डाक सेवा

2659. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने-कितने अतिरिक्त विभागीय डाक घर तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है तथा अतिरिक्त विभागीय डाकपालों का वेतन तो डाकघर के भवन के किराए से भी कम है ; और